Job opportunities for women

*78. SHRI HARNATH SINGH YADAV: Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether job opportunities for women, particularly for girls are enough to protect them from exploitation;

(b) if not, the details of specific steps taken by Government to increase job opportunities for women in the country; and

(c) the details of measures taken to create job opportunities in the most backward districts of the country?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) Employment generation coupled with improving employability is the priority concern of the Government. Further, Government runs various employment generation schemes for beneficiaries including women like Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) implemented by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGA), Pt. Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY) scheme run by Ministry of Rural Development, and Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM) implemented by Ministry of Housing and Urban Affairs. In order to improve the employability of youth, around 22 Ministries/Departments run skill development schemes across various sectors.

Central Government has taken some other prominent steps also to increase female labour participation rate which include the enactment of the Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017 which provides for enhancement in paid maternity leave from 12 weeks to 26 weeks and provisions for mandatory crèche facility in establishments having 50 or more employees; issue of an advisory to the States under the Factories Act, 1948 for permitting women workers in the night shifts with adequate safety measures. Further, in order to enhance the employability of female workers, Government is providing training to them through a network of Women Industrial Training institutes, National Vocational Training Institutes and Regional Vocational Training Institutes. A number of protective provisions have been incorporated in various labour laws for creating congenial work environment for women workers.

The Equal Remuneration Act, 1976 provides for payment of equal remuneration to men and women workers for same work or work of similar nature without any discrimination. Further, under the provisions of the Minimum Wages Act, 1948, the wages fixed by the appropriate Government are equally applicable to both male and female workers and the Act does not discriminate on the basis of gender.

Government has implemented the National Career Service (NCS) Project which comprises a digital portal that provides a nation-wide online platform for jobseekers and employers for job matching in a dynamic, efficient and responsive manner and has a repository of career content.

Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana has been initiated by the Ministry of Labour and Employment in the year 2016-17 for incentivizing industry for promoting employment generation. Under this scheme, Government is paying the entire employer's contribution (12 % or as admissible) towards the EPS and EPF for all sectors w.e.f. 01.04.2018 to all eligible new employees and is applicable for all sectors for the next 3 years from the date of registration of the new employee.

Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) provides access to institutional finance to micro/small business units upto ₹ 10.00 lakh. Almost 75% of the loans under PMMY have been extended to women borrowers. To encourage further coverage of women borrowers, the Micro Units Development and Refinance Agency Ltd. (MUDRA) extends a rebate of 0.25% on its refinance interest rate for PMMY loans given by Member Lending Institutions (MLIs) such as Micro Finance Institutions to women borrowers.

Government has taken several other measures for improving the performance of women in all aspects of social, economic and political life. Ministry of Women and Child Development is implementing various schemes to empower women including improvement of their employability. These schemes includes the following:–

(i) Scheme for Adolescent Girls aiming at girls in the age group 11-18, to empower and improve their social status through nutrition, life skills, home skills and vocational training,

(ii) Rastriya Mahila Kosh (RMK), for extending micro-finance services to bring about socio-economic upliftment of poor women,

(iii) Mahila e-Haat, a unique direct online digital marketing platform for women entrepreneurs/SHGs/NGOs, and

(iv) Support to Training and Employment Programme for Women (STEP), which aims to provide competencies and skill that enable women to become self-employed/entrepreneurs.

Ministry of Rural Development (MoRD) is undertaking Skill development through Rural Self Employment and Training Institutes (RSETI), thereby enabling the trainee to take bank credit and start his/her own Micro-enterprise.

Further, Government has identified 115 aspirational districts from 28 States taking various indices of development in consideration. Government aims at improving the quality of life in these districts by investing in social services like health, education, nutrition, skill up gradation, financial inclusion and infrastructure like irrigation, rural electrification, potable drinking water and access to toilets at an accelerated pace and in a time bound manner.

श्री हरनाथ सिंह यादवः माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि भारत सरकार द्वारा संचालित विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत कितनी किशोर कन्याओं और महिलाओं, विशेषकर किशोरियों को प्रशिक्षित किया गया है? उनमें से कितने लोग अब तक लाभान्वित हुए हैं, यानी कि उन्हें नौकरी मिली है, ताकि वे रोग, प्रताड़ना व शोषण से बच सके और आत्मनिर्भर बन सके?

श्री संतोष कुमार गंगवारः महोदय, भारत सरकार पूरी तरह से सक्रिय है कि महिलाओं को, खास तौर से किशोरी कन्याओं को नौकरी के अवसर दिए जाएं। इस समय का आंकड़ा यह बताता है कि महिलाओं की सहभागिता 27 प्रतिशत के आस पास है। ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, जो महिलाओं के लिए रोज़गार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हम यह इसलिए कह रहे हैं कि हम लोगों ने ऐसे बहुत से फैसले लिए हैं जो इस दिशा में सार्थक कदम उठाकर कार्रवाई कर रहे हैं। हमने बहुत से ऐसे कदम उठाए हैं जो पहले कभी नहीं उठाए गए थे। हमने मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया। हमने यह भी कोशिश की है कि Maternity Benefit Act के अंतर्गत work from home यानी महिलाओं को घर पर काम करने की सुविधा दी जाएगी, जो निश्चित रूप से महिलाओं को रोजगार देने में सहायक सिद्ध होगी। यह भी कोशिश की है कि जहां पर 50 से अधिक कर्मी हैं, वहां पर creches आदि की सुविधा दी जाए। इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वरोज़गार की दिशा में जो मुद्रा लोन दिए गए हैं, उसमें 75 प्रतिशत खाते महिला उद्यमियों के लिए हैं और वे अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। इस स्कीम के तहत महिलाओं को ब्याज दर में भी 0.25 परसेंट की रिबेट दी गई है। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापतिः इतना डिटेल में है। वह तो आपने सदन के सभा पटल पर दिया ...**(व्यवधान)**...

श्री संतोष कुमार गंगवारः महोदय, सरकार द्वारा Women I.T. की भी स्थापना की गई है।

श्री सभापतिः मंत्री जी, सेकण्ड सप्लीमेंटरी पूछने दीजिए। आपने विस्तार से जवाब दिया है।

श्री हरनाथ सिंह यादवः मान्यवर, महिलाओं एवं किशोरियों के कौशल को बढ़ाने के लिए, जिससे उनको नौकरी मिल सके, इसके लिए अब तक कितना बजट स्वीकृत किया गया है एवं उसमें से कितना खर्च हुआ है, इसका ब्यौरा देने का कष्ट करें।

श्री संतोष कुमार गंगवारः महोदय, वैसे तो यह विषय हमारे मंत्रालय से संबंधित नहीं है। इसको अन्य दो-तीन मंत्रालय देखते हैं। जैसा मैं अभी कह रहा था कि महिलाओं की रोज़गारपरता बढ़ाने के लिए सरकार ने Women I.T. की स्थापना की है और वास्तव में टेक्सटाइल मंत्रालय और Women and Child Welfare मंत्रालय इस विषय में ज्यादा जानकारी दे सकते हैं। जैसा मैं कह रहा था कि महिलाओं को शिफ्ट में रात की ड्यूटी में काम करने के लिए सुरक्षा प्रबंध की भी व्यवस्था हम लोगों के द्वारा की गई है। ये वास्तव में ऐसे कदम हैं, जिनका सही लाभ मिल रहा है।

श्रीमती सम्पतिया उइकेः महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाह रही थी कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं को नौकरी देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उसके साथ-साथ आगे क्या कदम उठाने जा रहे हैं?

श्री संतोष कुमार गंगवारः महोदय, जैसा मैं अभी बता रहा था कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अनुसूचित जाति, जनजातीय कार्य मंत्रालय इसमें ज्यादा सक्रिय भूमिका अदा करते हैं और जानकारी दे सकते हैं। हम इसमें नौकरी के लिए जो सहयोग कर सकते हैं, उसमें हम हर समय तैयार रहते हैं और कोई भी समस्या आती है तो हम उसको सुलझाने व आपको बताने का काम करेंगे। हम इन दोनों मंत्रालयों से इस संदर्भ में यदि कोई स्पेसिफिक बात होगी, तो उसकी जानकारी देंगे।

श्री राम नाथ ठाकुरः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बिहार में किशोरियों हेतु योजना का उद्देश्य 11-18 वर्ष की आयु के समूह की लड़िकयों को सशक्त बनाने, पोषण, जीवन कौशल, गृह कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए बिहार में ऐसे कितने लोगों को सशक्त किया गया है?

श्री सभापतिः मंत्री जी, वह आपसे स्पेसिफिक प्रदेश के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री संतोष कुमार गंगवारः महोदय, हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, किंतु यह सवाल सीधा हमारे मंत्रालय से संबंधित नहीं है। मैं संबंधित मंत्रालय को सूचना देकर आपको जानकारी दूंगा।

श्रीमती विप्लव ठाकुरः महोदय, इन्होंने कहा कि मंत्रालय से कहेंगे, लेकिन जो विषय इनके मंत्रालय से संबंधित है, मैं उसी के बारे में पूछना चाह रही हूं। सरकार ने देश में महिलाओं के लिए नौकरी के अवसर बढ़ाने हेतु उठाए विशेष कदमों का ब्यौरा दिया है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या महिलाओं के लिए, जैसे बाकी जगहों पर रिज़र्वेशन रखा गया है, क्या नौकरियों में भी महिलाओं के लिए रिज़र्वेशन रखने का कोई ऐसा प्रावधान या कोई ऐसी बात सोची जा रही है? पार्लियामेंट या विधान सभा में तो यह नहीं दिया जा रहा, क्या नौकरियों के लिए महिलाओं के रिज़र्वेशन की व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि कॉम्पिटीशन में वे कई बार नहीं आ पाती हैं, क्या इसके बारे में सोचा जा रहा है?

श्री संतोष कुमार गंगवारः महोदय, मैं कह रहा था कि महिलाओं की सहभागिता 27 परसेंट के आस पास है ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती विप्लव ठाकुरः महोदय, मैं रिज़र्वेशन की बात कर रही हूं।

श्री संतोष कुमार गंगवारः मैं कह रहा था कि इसमें महिलाओं की सहभागिता 27 प्रतिशत के आस-पास है। ...**(व्यवधान)**... इसे और आगे बढ़ाया जाए, हम इसकी चिंता कर रहे हैं। अगर आप कुछ सुझाव देंगी, तो वास्तव में हम उस पर अमल करेंगे।

जेलों में बंद अपराधियों का आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होना

*79. **श्री विशम्भर प्रसाद निषाद:** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश की विभिन्न जेलों में बंद अपराधी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सहित, देश की जेलों में हुई मारपीट, हिंसक झड़पों और हत्याओं की घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश की सभी जेलों में कैदियों को रखे जाने की क्षमता कितनी है और इन जेलों में वर्तमान में कितने कैदी रखे जा रहे हैं; और

(घ) क्या जेलों में कैदियों को रखे जाने की कम क्षमता के कारण अभियोगाधीन और सज़ायाफ्ता कैदियों को एक ही बैरक में रखा जा रहा है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर): (क) से (घ) एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2014, 2015 एवं 2016 के दौरान उत्तर प्रदेश सहित देश भर की जेलों में झड़पों के कारण घायल एवं मारे गए कैदियों तथा जेल कर्मियों और जेलों में कैदियों की हत्या का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः–

वर्ष	जेलों में झड़प और गोलीबारी में घायल	जेलों में झड़प और गोलीबारी में मृत्यु	कैदियों द्वारा हत्या
2014	237	3	12
2015	212	9	11
2016	213	5	14

(ग) दिनांक 31.12.2016 की स्थिति के अनुसार, देश की विभिन्न जेलों में 380876 कैदियों की क्षमता की तुलना में 433003 कैदी बंद थे।

(घ) कारागार अधिनियम, 1894 में यह प्रावधान है कि गैर-दोषसिद्ध अपराधी कैदियों को दोषसिद्ध अपराधी कैदियों से अलग रखा जाएगा। आदर्श कारागार मैनुअल, 2016 सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को भी परिचालित किया गया है जिसमें यह प्रावधान है कि विचारणाधीन कैदियों और निरूद्ध कैदियों को दोषसिद्ध कैदियों से अलग बाड़े में रखा जाएगा। संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि 4 के अनुसार 'कारागार' एवं 'उनमें रखे गए व्यक्ति राज्य के विषय हैं। हिरासत प्रबंधन, कैदियों की सुरक्षा एवं संरक्षा और कारागार अनुशासन संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।